(208)

निग-2342-I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–जबलपुर

1– कैलाश कोल पुत्र स्व. श्री साधुराम कोल
2– लक्ष्मीनारायण कोल पुत्र स्व. श्री साधुराम कोल
3– शिवप्रसाद कोल पुत्र स्व. श्री साधुराम कोल
4– नंदलाल कोल पुत्र स्व. श्री साधुराम कोल
निवासीगण–धोबी घाट कजरबारा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 19.7.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर (म.प्र.)
2– विजय कोरी पुत्र श्री एच.एल कोरी
निवासी – प्लॉट नं. 90 केन्ट गोराबाजार जबलपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 252/अ–21 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला का आदेश का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना हीं जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम कचरबारा की भूमि न. ब. 505 प.ह.न. 27/23 रा.नि.म. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 47/3 रकवा 0.401 है0 का वह भूमि स्वामी है। ऐसी स्थिति में अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं बच्चो के विवाह आदि में रूपयों की आवश्यकता होने के आधार पर भूमि विक्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ विक्रय अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया गया था। तब ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त स्थिति पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश पारित करना चाहिये था जो नहीं किया गया इसलिये आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2342/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-8-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 252/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि मौजा कजरबारा नं.ब.505 प.ह.न.27/23 रा.नि.म. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर की भूमि खसरा नं. 47/3 रकवा 0.401 है0 भूमि के मालिक काबिज भूमि स्वामी है तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज है। जिसे वह अनावेदक क्रमांक 2 विजय कोरी पुत्र श्री एच.एल. कोरी निवासी प्लॉट नं. 90 केन्ट गोराबाजार जबलपुर को विक्रय करना चाहता है। इस संबंध में विक्रय अनुबंध किया गया है। क्योंकि उसे पारिवारिक आवश्यकताओ बच्चो के विवाह इत्यादि हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिये वह	

भूमि विक्रय करना चाहते है और उन्हे भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 252/अ–21/2013–14 पंजीबद्व कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जबलपुर से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 16.07.2014 पारित कर आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी में संलग्न धारा 5 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण में पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं दी गयी ऐसी स्थिति में जैसे ही उन्हे प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी हुयी तो तत्काल् नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होने पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये इसी सिद्वांत के अनुसार यह पुनरीक्षण अन्दर अवधि में मान्य किया जाता है

5– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहॉं से जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 16.07. 2014 को आवेदन पत्र पर सद्‌भाविक विचार नहीं

किया। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पर सद्‌भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया, अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

6- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 16.07.2014 निरस्त किये जाने योग्य है।

7- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं बैक ऋृण पटाने तथा कृषि उपकरण परिवार के निवास हेतु निर्माण करने हेतु पारिवारिक आवश्यकतों की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

8- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन देकर बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की

अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, तो आवेदक के पास भूमि शेष नहीं बचेगी। जबकि भूमि शेष नहीं बचने की दशा में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि के विक्रय किये जाने में कोई अड़चन नहीं है। मुख्य रूप से यह देखना होता है कि विक्रेता को भूमि का वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं और वह क्या वर्तमान गाईड लाईन के अनुसार है। इस प्रकरण में विक्रेता को जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वह गाईड लाईन के अनुसार है ऐसी स्थिति में विक्रेता के साथ कोई छल कपट नहीं किया जा रहा है ऐसी स्थिति में विक्रेता की निजी आवश्यकतओं जैसे बच्चो के विवाह आदि हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से भूमि विक्रय की जा रही है। उन वैधानिक स्थितियों पर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर विजय कोरी

के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर ग़ौर न करने में भूल की है।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 252/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम कचरबारा भूमि नं.ब. 505 प.ह. न. 27/23 रा.नि.म जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 47/3 रकवा 0.401 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य